प्रारुप–एक

देखिये नियम 3

<u>समितियों के पंजीयन हेतु ज्ञापन–पत्र (संशोधित)</u>

1. समिति का नाम – **भोपाल डिवीज़नल आफ्थेलमिक सोसाईटी** होगा।

2. समिति का कार्यालय – **नेत्र रोग विभाग, गांधी मेडीकल कॉलेज, भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल मध्यप्रदेश** में स्थित होगा।

3. **समिति के उद्‌देश्य निम्नलिखित होंगे –**

   1. आंख के मरीजों की सेवा एवं उपचार।
   2. नेत्र उपचार के आधुनिक विषयों पर संगोष्ठी का आयोजन।
   3. नेत्र विषय पर वार्षिक अधिवेशन जिसमें विषय पर विचारो का आदान–प्रदान एवं सम्बन्धित उपकरणों की प्रदर्शनी लगाकर सदस्यों को अवगत कराना।

4. समिति के प्रबंध विनिमयों का समिति कार्यो का प्रबंध शासक परिषद्, संचालकों सभा या शासी निकाय को सौंपा गया है। जिनके नाम, पते तथा धन्धों का उल्लेख निम्नांकित हैः–

क्र. (1)	नाम (2)	पिता / पति का नाम (2)	पद (3)	पूर्ण पता (4)	व्यवसाय (5)
1	डॉ. एस.के. गोविल	स्व.श्री सी.एल. गोविल	अध्यक्ष	सी–5, बीडीए कालोनी, शिवाजी नगर, भोपाल	नेत्र विशेषज्ञ
2	डॉ. जे.पी तिवारी	स्व.श्री एम.पी. तिवारी	उपाध्यक्ष	ओल्ड एमएलए क्वाटर्स, जवाहर चौक, भोपाल	नेत्र विशेषज्ञ
3	डॉ. डॉली एच.चन्द्रा	स्व. डॉ. हीरेश चन्द्रा	सचिव	ई–1 / 104, अरेरा कालोनी, भोपाल	नेत्र विशेषज्ञ
4	डॉ. राहुल अग्रवाल	डॉ. कैलाश अग्रवाल	संयुक्त सचिव	सुनेत्र आई हॉस्पिटल, भोपाल टॉकिज कम्पाउंड, भोपाल	नेत्र विशेषज्ञ
5	डॉ. भावना शर्मा	श्री बी.एम.पी. तिवारी	कोषाध्यक्ष	आफ्थेलमोलॉजी विभाग, गांधी मेडीकल कॉलेज, भोपाल	नेत्र विशेषज्ञ
6	डॉ. सलिल कुमार	स्व. श्री नारायण बहादुर	कार्यकारिणी सदस्य	ई–3 / 73, अरेरा कालोनी, भोपाल	नेत्र विशेषज्ञ
7	डॉ. आर.सी. ब्योहार	श्री जे.एल. ब्योहार	कार्यकारिणी सदस्य	ई–4 / 263, अरेरा कालोनी, भोपाल	नेत्र विशेषज्ञ

5. समिति के इस ज्ञापन–पत्र के साथ समिति के विनिमयों की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (1973 का 44)☐ की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित है, संलग्न हैं।

   हम अनेक व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे लिखे है, समिति का निर्माण उपरोक्त, ज्ञापन–पत्र के अनुसार करने के इच्छुक हैं तथा ज्ञापन–पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं।

क्र (1)	निर्माणकर्ताओ के नाम, पूर्ण पते पिता / पति का नाम सहित (2)			हस्ताक्षर (3)
1	डॉ. एस.के. गोविल	स्व.श्री सी.एल. गोविल	सी–5, बीडीए कालोनी, शिवाजी नगर, भोपाल	हधोहस्ताक्षर

2	डॉ. जे.पी तिवारी	स्व.श्री एम.पी. तिवारी	ओल्ड एमएलए क्वाटर्स, जवाहर चौक, भोपाल	हधोहस्ताक्षर
3	डॉ. डॉली एच.चन्द्रा	स्व. डॉ. हीरेश चन्द्रा	ई–1 / 104, अरेरा कालोनी, भोपाल	हधोहस्ताक्षर
4	डॉ. राहुल अग्रवाल	डॉ. कैलाश अग्रवाल	सुनेत्र आई हॉस्पिटल, भोपाल टॉकिज कम्पाउंड, भोपाल	हधोहस्ताक्षर
5	डॉ. भावना शर्मा	श्री बी.एम.पी. तिवारी	आफ्थेलमोलॉजी विभाग, गांधी मेडीकल कॉलेज, भोपाल	हधोहस्ताक्षर
6	डॉ. सलिल कुमार	स्व. श्री नारायण बहादुर	ई–3 / 73, अरेरा कालोनी, भोपाल	हधोहस्ताक्षर
7	डॉ. आर.सी. ब्यौहार	श्री जे.एल. ब्यौहार	ई–4 / 263, अरेरा कालोनी, भोपाल	हधोहस्ताक्षर

साक्षी
अधोहस्ताक्षर
नाम – Dr. M.K.Jain S/o. Late Sh
पता – E-115/6, Shivani Nagar, Bhopal (M.P)

नियमावली (संशोधित)

1. समिति का नाम – **भोपाल डिवीज़नल आफ्थेलमिक सोसाईटी** होगा।
2. समिति का कार्यालय – **नेत्र रोग विभाग, गांधी मेडीकल कॉलेज, भोपाल, तहसील– हुजूर, जिला– भोपाल मध्यप्रदेश** में स्थित होगा।

3.संस्था का कार्यक्षेत्र – **सम्पूर्ण मध्यप्रदेश** होगा।

4. **समिति के उद्‌देश्य निम्नलिखित होंगे –**
   1. आंख के मरीजों की सेवा एवं उपचार।
   2. नेत्र उपचार के आधुनिक विषयों पर संगोष्ठी का आयोजन।
   3. नेत्र विषय पर वार्षिक अधिवेशन जिसमें विषय पर विचारो का आदान–प्रदान एवं सम्बन्धित उपकरणों की प्रदर्शनी लगाकर सदस्यों को अवगत कराना।

5. **सदस्यता**– भोपाल डिविजन में निवासरत एवं कार्यरत नेत्र चिकित्सक ही सदस्य होगे डिविजन से बाहर के नेत्रचिकित्सक एसोसिएट्स सदस्य के रूप में प्रबंधकार्यकारिणी के विचार उपरांत समिलित हो सकते है परन्तु उन्हे मत देने का अधिकार नही होगा

   अ. संरक्षक सदस्य– संस्था को जो चिकित्सक दान के रुप मे रूपये 15,000/– या अधिक एक मुश्त या एक साल में बारह किश्तो मे देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।

   1. वरिष्ठ एवं अनुभवी सदस्य को सामान्य सभा समिति का संरक्षक, मनोनीत कर सकती है।

   ब. आजीवन सदस्य– जो चिकित्सक संस्था को दान के रुप मे रुपये 1,500/– या अधिक राशि देगा वह आजीवन सदस्य बन सकेगा। (इस शुल्क में सामान्य सभा की बैठक में वृद्धि की जा सकती है)

   स. सम्मानीय सदस्य– संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे, सम्मानीय सदस्य बना सकती है। ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उनको मत देने का अधिकार नही होगा।

   द. एसोसिएट्स सदस्य– स्नातकोत्तर अध्यनरत चिकित्सक रूपये 1,000/– चन्दे के रूप में देगा वह एसोसिएट्स सदस्य होगे स्नातकोत्तर उपाधि/पत्रोपाधि प्राप्त करने के उपरांत वह ऊपर दर्शित सदस्यता शुल्क एवं आजीवन सदस्य के अन्तर की राशि भुगतान करने के उपरांत समिति की आजीवन सदस्यता प्राप्त करेगा।

   ई. मानद आजीवन सदस्य– वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रतिभाशाली नेत्र चिकित्सको को बनाया जा सकेगा।

6. **सदस्यता की प्राप्ति**– प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो उसे लिखित रूप से आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन पत्र प्रबन्धकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा इस आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा प्रबंध कार्यकारिणी को होगा।

7. **सदस्यता की योग्यताऍ**– संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति मे निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है।
   1. भारतीय नागरिक हो।
   2. समिति के नियमो को पालन करने की प्रतिज्ञा की हो।
   3. नेत्ररोग विषय में अध्यनरत चिकित्सक (ऐसोसिएट्स मेम्बर) एवं नेत्र रोग विषय में उपाधि, पत्रोपाधि प्राप्त एवं एन.एम.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यताधारी चिकित्सक हो।

8. **सदस्यता की समाप्ति**– संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति मे समाप्त हो जावेगीः–

1. मृत्यु हो जाने पर।
2. पागल हो जाने पर।
3. संस्था को देय चन्दे की रकम नियम 5 में बनाये अनुसार जमा न करने पर।
4. त्यागपत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर।
5. चारित्रिक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप से देना होगी।

09. **संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेगेः–**

1. प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय।
2. वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो, रसीद नं।
3. वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त हुई हो।

10. **अ. साधारण सभा**– साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाए श्रेणी के सदस्य समावेशित होगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी। परन्तु वर्ष में एकबार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित करेगी। जिसकी सूचना 30 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। कोरम पूर्ण न होने पर बैठक आधा घण्टा स्थगित कर उसी स्थान पर पुनः प्रारम्भ कि जा सकती है जिसमें कोरम की कोई शर्त न होगी संस्था की प्रथम आमसभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा। यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय में नही किया जाता है तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा।

1. संविधान संशोधन 2/3 सदस्यो कि उपस्थिति में सामान्य सभा में प्रस्ताव पारित एवं स्वीकृति उपरांत संशोधन लागू होगा

ब. प्रबंधकारिणी सभा– प्रंबधकाारिणी सभा की बैठक प्रत्येक 3 माह होगी तथा बैठक का एजेंण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी को प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नही होता है तो बैठक 1/2 घण्टे के लिये स्थागित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न होगी।

स. विशेष– यदि कम से कम कुल (कुल सदस्यो की संख्या) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करे। तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिए साधाराण सभा की बैठक बुलाई जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

11. **साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य**–

(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण एवं प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।
(ख) संस्था की स्थायी निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना।
(ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।

(घ) अन्य ऐसे विषयो जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।

12. **प्रबंधकारिणी का गठन**– नियम 5 (अ. ब.) मे दर्शाए गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हों, बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नलिखित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यो का निर्वाचन होगा :–

(1) अध्यक्ष–1 (2) उपाध्यक्ष–2 (3) सचिव–1 (4) कोषाध्यक्ष–1
(5) संयुक्त सचिव–1 (6) क्लीनिकल सचिव–1 (7) कार्यकारिणी सदस्य–10
(8) पदेन सदस्य–2 (एक पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व सचिव)

13. **प्रबंध समिति का कार्यकाल**– प्रबंध समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नयी प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणो से नही हो जाता कार्य करती रहेगी, किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नही होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

14. **प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य :–**

(अ) जिन उद्देश्यो के प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

(ब). पिछले वर्ष का आय–व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

(स). समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्था की चल–अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि भुगतान करना।

(द). कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।

(इ). अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय–समय पर सौंपे जायें।

(च). संस्था की समस्त चल–अचल सम्पत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।

(छ). संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना बिक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आन्तरित नही की जायेगी।

(ज). विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान संशोधन किये जाने पर प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुल सदस्यों के 2/3 मत सें संशोधन पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।

15. **अध्यक्ष के अधिकार**– अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा। अध्यक्ष को विषय विशेष पर चर्चा एवं निर्णय हेतु विशेष आमांत्रित के रूप में सदस्य को आमांत्रित करने का अधिकार होगा।

16. **उपाध्यक्ष के अधिकार**– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेंगा।

17. **सचिव के अधिकार–**

1. अध्यक्ष से विचार विमर्श कर साधारण सभा एवं कार्यकारिणी की बैठक समय–समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हों प्रस्तुत करना।

2. समिति का आय–व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना एवं सचिव को कार्यकारिणी बैठक–किसी विषय पर नोटिस, सरकुलर्स निकालने/बुलाने का अधिकार पृथक से नही होगा, अध्यक्ष की अनुमति एवं सलाह, परामर्श कर कार्य करेगा।
3. समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।
4. सचिव को अध्यक्ष अनुमति से किसी कार्य के लिए एक समय में रूपये 10,000/– खर्च करने का अधिकार होगा।

18. **कोषाध्यक्ष के अधिकार**– समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब किताब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

20. **संयुक्त सचिव–** सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव उनके मार्गदर्शन में कार्य करेगे।

21. **क्लीनिकल सचिव–** नेत्र रोगो से संबंधित विभिन्न बीमारियों की आधुनिकतम जानकारी के विषय में समिति के सदस्यो को CME/बेविनार के द्वारा समय समय पर जानकारी एवं आधुनिकतम ज्ञान एवं शल्यक्रिया इत्यादि के बारे में अवगत कराना एवं अध्यक्ष के पूर्णतः र्निदेशन में कार्य करेगा।

22. **पदेन सदस्य–** संस्था कार्य में समय समय पर पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व सचिव अपना मार्गदर्शन देगे।

23. **बैंक खाता**– संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में रहेंगी। धन का आहरण अध्यक्ष या सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम 5000/– रूपये रहेंगे।

24. **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी**– अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक सें 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षित लेखा भेजेगी।

25. **संशोधन**– संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल उपस्थित सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने का अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएॅ को होगा तथा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।

26. **विघटन**– संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

27. **सम्पत्ति**– संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएँ की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्य प्रकार से अर्जित या अन्तरित नही की जा सकेगी।

28. **बैंक खाता–** संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जावेगा एवं समय–समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

29. **पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना**– संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियो द्वारा वार्षिक बैठक बुलाये जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएॅ को बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

30. **विवाद**– संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय को भेज सकेगें। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा संचालित सभाओ के विवाद अथवा प्रबन्ध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।